संख्या-420/2022/820रासनि/23-1-22/003-41आरएसएन/2022टी.सी.-2

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 09 नवम्बर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विशेष मरम्मत के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 22 मार्गों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों के विशेष मरम्मत के 22 कार्यों हेतु कुल लागत रू0 13,34,60,000/- (रूपये तेरह करोड़ चौंतीस लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 3,33,64,000/- (रूपये तीन करोड़ तैंतीस लाख चौंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 के पत्र संख्या व दिनांक	जनपदखण्ड / का नाम	मार्ग का यूनिक कोड	कार्य का नाम	लम्बाई 0किमी) (में	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1120नि/खीरी/टीसी/22-23, दि0 31.10.2022	नि0ख0-3, खीरी	231771	छिदनीपुरवा से फुलवरिया जाने वाले मार्ग से सिमीपुरवा इटैया सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	3.700	54.23	13.55
2	1120नि/खीरी/टीसी/22-23, दि0 31.10.2022	नि0ख0-3, खीरी	231672	विकास खण्ड पलिया के ग्राम ढ़कवा तक पेन्टेड मार्ग से पकरिया भरौचा नगला सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	65.80	16.45
3	1126नि/355सी/खीरी/भाग 45/22-23, दि0 31.10.2022	नि0ख0-3, खीरी	231882	पलहना सम्पर्क मार्ग	4.200	52.48	13.12
4	1140नि/खीरी/नियोजन वर्ग/22-23, दि0 31.10.2022	नि0ख0-3, खीरी	231663	मोहबतिया बेहड़ सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	3.00	70.00	17.50
5	1159नि/356सी/हरदोई/भाग 37/22-23, दि0 02.11.2022	नि0ख0-1 हरदोई	251524	आमतारा मैकपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	3.700	81.25	20.31
6	1130नि/354सी/सीतापुर/भाग 5 /22-23, दि0 31.10.2022	निर्माण खण्ड-4 सीतापुर	241180	पहाड़पुर सम्पर्क मार्ग	2.000	47.27	11.81
7	1130नि/354सी/सीतापुर/भाग 5 /22-23, दि0 31.10.2022	निर्माण खण्ड-4 सीतापुर	240746	करनैल सिंह झाले के सामने से कपसाकलां सम्पर्क मार्ग	3.500	53.21	13.30
8	1134नि/354सी/सीतापुर/भाग 21/22-23, दि0 31.10.2022	प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर	240121	रामपुर अंगरौरा से बरूही सम्पर्क मार्ग	3.500	49.35	12.33
9	1134नि/354सी/सीतापुर/भाग 21/22-23, दि0 31.10.2022	प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर	240394	थानागांव, रामीपुर गोड़वा राजापुर कला डलिया सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग	2.000	64.63	16.15
10	1134नि/354सी/सीतापुर/भाग 21/22-23, दि0 31.10.2022	प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर	240561	मानपुर सीकरी सम्पर्क मार्ग	3.000	101.58	25.40
11	1134नि/354सी/सीतापुर/भाग 21/22-23, दि0 31.10.2022	प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर	240388	भिलांवा सम्पर्क मार्ग	2.850	63.32	15.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 के पत्र संख्या व दिनांक	जनपदखण्ड / का नाम	मार्ग का यूनिक कोड	कार्य का नाम	लम्बाई (में 0किमी)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
12	1134नि/354सी/सीतापुर/भाग 21/22-23, दि0 31.10.2022	प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर	240364	केसरीगंज मार्ग से बाबा जंगलीनाथ मंदिर तक सम्पर्क मार्ग	0.500	51.03	12.75
13	1134नि/354सी/सीतापुर/भाग 21/22-23, दि0 31.10.2022	प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर	240809	असम किमी0 16 से दहेली सम्पर्क मार्ग पर बाढ़ से कटान भाग पर रपटा निर्माण कार्य	0.040	94.43	23.61
14	1134नि/354सी/सीतापुर/भाग 21/22-23, दि0 31.10.2022	प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर	240351	कोंसर चौराहे से मुर्थना सम्पर्क मार्ग	3.500	48.63	12.16
15	1138नि/132-01नि/सीतापुर/भाग 5/22-23, दि0 31.10.2022	निर्माण खण्ड-1 सीतापुर	240186	बेलझरिया मुसैनामऊ सम्पर्क मार्ग से कल्याणपुर होते हुए भागीपुर सम्पर्क मार्ग	3.200	43.22	10.81
16	2475सी/356सी/हरदोई-भाग-11/22-23, दि0 02.11.2022	नि0ख0-2 हरदोई	252481	बी0एन0एन0 मार्ग से अतर्छाखुर्द सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 1.00 किमी0) के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	46.12	11.53
17	2475सी/356सी/हरदोई-भाग-11/22-23, दि0 02.11.2022	नि0ख0-1 हरदोई	251551	समग्र ग्राम दहेलिया से समग्र ग्राम कटरी छोछपुर मार्ग का अवशेष भाग (खुर्रम पुरवा) सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.900	59.36	14.84
18	2475सी/356सी/हरदोई-भाग-11/22-23, दि0 02.11.2022	नि0ख0-1 हरदोई	251286	हर्रई मार्ग से पेढ़वा सम्पर्क मार्ग	2.000	51.22	12.81
19	2475सी/356सी/हरदोई-भाग-11/22-23, दि0 02.11.2022	नि0ख0-1 हरदोई	250364	टोडरपुर सहादतनगर धनवार मार्ग अन्य जिला मार्ग के आबादी भाग में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सी0सी0 व नाली का कार्य	0.560	53.31	13.33
20	2475सी/356सी/हरदोई-भाग-11/22-23, दि0 02.11.2022	नि0ख0 सीतापुर	246811	नीमसार औरगाबाद से सरैया सम्पर्क मार्ग-विशेष मरम्मत का कार्य।	6.275	103.46	25.87
21	2475सी/356सी/हरदोई-भाग-11/22-23, दि0 02.11.2022	प्रा0ख0 खीरी	231047	मन्यौराखान सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.550	40.15	10.04
22	2475सी/356सी/हरदोई-भाग-11/22-23, दि0 02.11.2022	प्रा0ख0 खीरी	231049	मल्लिया बुजुर्ग से सेमरई सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	40.55	10.14
					कुल योग-	**1334.60**	**333.64**

(1) **प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।**

(2) **प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।**

(3) **लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।**

(4) **प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।**

(5) **प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(8) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(9) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(11) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 3,33,64,000/- (रूपये तीन करोड़ तैंतीस लाख चौंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-420/2022/820रासनि(1)/23-1-22/003-41आरएसएन/2022टी.सी.-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/लोक निर्माण अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in